

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर

अमरचन्द बनाम काना

किस्म मुकदमा- धारा 151 सी0पी0सी

नम्बर-32 वर्ष:-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.06.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा- 151 सी0पी0सी0 के तहत पेश किया । वकील प्रार्थी की निर्णय की कियान्विती पर रोक बाबत एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी की पक्ष में प्रतीत होता है। अतः मूल प्रकरण 15/2024 उनवान अमरचन्द बनाम कानाराम में पारित निर्णय में आगामी तारीख पेशी तक निर्णय की कियान्विती पर रोक लगाने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली दिनांक 18-7-25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	
24-6-25	<p>प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते राजस्व प्रार्थना-पत्र को विद्रा करने बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी प्रार्थी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गयी। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को सुना गया। चूंकि मूल प्रार्थना-पत्र (0.2) R. 97) को विद्रा करने की अनुमति दी जा चुकी है, इस कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>	